निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 पौष 1942 (श0)
(सं0 पटना 967) पटना, मंगलवार, 22 दिसम्बर 2020

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

vf/kl puk
18 दिसम्बर 2020

सं० जी/सेना–05–06/2017–6796—युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम 5, 1938) की धारा 9 की उप धारा–(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से कम से कम 2 महीना बीत जाने पर, उक्त धारा की उप धारा–(2) के अधीन इसके साथ उपाबद्ध संपूर्ण क्षेत्र में या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में दिनांक 29.09.2020 से आरंभ होने वाली और 28.09.2030 को समाप्त होने वाली 10 वर्षों की अवधि के दौरान मैदानी गोलाबारी और तोपखाना अभ्यास प्राधिकृत करने के लिए अधिसूचना जारी करने का अपना अभिप्राय अधिसूचित करते हैं। उक्त अधिनियम की धारा–9 की उप धारा–(1) के अपेक्षानुसार, उक्त क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में, जिसके भीतर दिनांक 29.09.2020 से आरंभ होने वाली और 28.09.2030 को समाप्त होने वाली 10 वर्षों की अवधि के दौरान आवधिक रूप में मैदानी गोलाबारी और तोपखाना अभ्यास प्राधिकृत किया जा सकता है, परिभाषित करने वाली अधिसूचना **दिनांक– 01.10. 2020** को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में अधिसूचना सं0–5058 दिनांक 29.09.2020 द्वारा पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है।

अनुसूची–1
भू–क्षेत्र का ब्यौरा/चौहद्दी

ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामा घाट, पटना स्थित 100 मीटर बैफल फायरिंग रेंज की लम्बाई 100 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर है। जिनका चहार दिवारी लगभग 30 फीट ऊँचा है। **उसके उत्तर दिशा में गंगा नदी अवस्थित है। दक्षिण जिसमें कोई आवादी नहीं है। दक्षिण दिशा में सिखारीचक ग्राम लगभग 100 मीटर की दूरी पर**

अवस्थित है। पूर्वी भाग में सी0आर0पी0एफ0 कैंप अवस्थित है एवं पश्चिम भाग में शवदाह गृह, गार्ड रूम, छतदार बैठका एवं परती भूमि बाग 01 कि0मी0 पर अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि सी0आर0पी0एफ0 कैंप, मोकामा घाट को रेलवे विभाग से प्राप्त है, जिसका खतियानी विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	किस्म जमीन
सिखारीचक	26	205	1 एवं 4	2.97 एकड़	कैसर–ए–हिन्द, खन्ता रेलवे

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

---

18 दिसम्बर 2020

सं० जी/सेना–05–06/2017–6796 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड–(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

The 18th December 2020

No. G/Sena-05-06/2017-**6796**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Manoeuvers, Field Firing and Artillery Practices Act, 1938 (Act of 5 of 1938), the Governor of Bihar is hereby pleased to notify his intention to authorise under sub-section (2) of the said section of the Act to carry out field firing and artillery practice throughout the area in the Schedule hereto annexed or in its any specified part during the period of ten years commencing from 29.09.2020 and ending with 28.09.2030. A notification as required by sub-section (1) of the said section, defining the said area as an area within which for the period of ten years commencing from 29.09.2020 and ending with 28.09.2030, the carrying out periodically of field firing and artillery practice may be authorized, has been previously published in the extraordinary issue of Bihar official Gazette, dated. 01.10.2020 with S.O. 5058 dated the 29.09.2020

Schedule-1

Particulars and boundary of the land-area.

The length and width of the 100 meter baffle firing range situated in the Group Center, Central Reserve Police Force, Mokama Ghat, Patna is 100 meter and 30 meter respectively. Its boundry wall is approximately 30 feet high. **River Ganga is situated in the north of the firing range. There is no population in the south direction. Village Sikahrichak is located in south at a distance of 100 meter. CRPF camp is situated in**

the east and in the west side a crematory, guard room, roofed sitting place and barren land is situated at a distance of 1 kilometer. The above mentioned land is given to The CRPF camp, Mokama Ghat by Railways. Land record details of the land are as follows:-

Mauja	Thana no.	khata no.	Khesra no.	Area	Type of Land
Sikharichak	26	205	1 and 4	2.97 Acres	Kaiser-E- Hind, Khanta- Railway

By the order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 967-571+25-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in